रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012021-224274
CG-DL-E-07012021-224274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2021/पौष 17 , 1942
No. 69] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2021/PAUSHA 17, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2021

सं. 55 /2015–2020

विषय : आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 41 और 43 के अंतर्गत वर्गीकृत मदों की आयात नीति और शर्त में संशोधन।

का.आ. 75(अ).—समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 41 और 43 के अंतर्गत मदो की आयात नीति और शर्तों में संशोधन करती है।

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीति	संशोधित नीतिगत भार्त
41133000	रेंगने वाले जन्तुओ का	निषिद्ध	आयात वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 और सीआईटीईएस के अधीन है	मुक्त	आयात अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 4 के अलावा वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 और सीआईटीईएस के अधीन है

43011000	ऊदबिलाव का पूर्ण सिर, पूंछ अथवा पंजो के साथ और बिना	निषिद्ध	आयात वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम के अधीन है	मुक्त	आयात अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 3 के अलावा वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 और सीआईटीईएस के अधीन है
43016000	लोमड़ी का पूर्ण सिर, पूंछ अथवा पजों के साथ अथवा बिना	निषिद्ध	आयात वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम के अधीन है	मुक्त	आयात अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 3 के अलावा वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 और सीआईटीईएस के अधीन है
43018000	अन्य फर की खाल, पूर्ण सिर, पूछ अथवा पंजों के साथ अथवा बिना	निषिद्ध	मुक्त तथापि, चिनचिला के फर के आयात निषिद्ध है	मुक्त	आयात अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 3 के अलावा वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 और सीआईटीईएस के अधीन है
43021100	अदबिलाव की पूर्ण खाल, सिर, पूंछ अथवा पंजे, एकत्र न किए गए हों	निषिद्ध	निषिद्ध	मुक्त	आयात अध्याय की नीतिगत शर्त सं. 3 के अलावा वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 और सीआईटीईएस के अधीन है

2. एक नई नीतिगत शर्त को आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 41 में नीतिगत शर्त सं. 4 और अध्याय 43 की शर्त सं. 03 के रूप में जोड़ा जाता है:

"चमड़े और त्वचा के आयात के लिए आयात स्वास्थ्य नयाचार अथवा समय–सयम पर पशु–पालन एवं डेयरी विभाग द्वारा निर्धारित स्वच्छता भार्तों के अधीन है।"

3. **<u>इस अधिसूचना का प्रभाव</u>:** आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 41 और 43 के अंतर्गत वर्गीकृत मदों की आयात नीति और नीतिगत शर्तों को "निषिद्ध" से "मुक्त" में संशोधित किया गया है तथा नई नीतिगत शर्तों को अध्याय 41 और 43 में जोड़ा गया है।

इसे वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/118/एएम–02/पीसी–2(ए)/ई–1557]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 36/2015–2020 दिनांक 17 जनवरी 2017 को भारत के राजपत्र असाधारण में संख्या का.आ. 172(अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2021

No. 55/2015-2020

Subject: Amendment in import policy and condition of items classified under Chapter 41 & 43 of ITC (HS), 2017, Schedule–I (Import Policy).

S.O. 75(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the import policy and conditions of items under Chapter 41 & 43 of ITC (HS), 2017, Schedule–I (Import Policy).

Exim Code	Item Description	Existing Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy	Revised Policy Condition
41133000	Of reptiles	Prohibited	Imports are subject to Wildlife (Protection) Act, 1972 and CITES	Free	Imports are subject to Wildlife (Protection) Act, 1972 and CITES besides Policy condition No. 4 of the Chapter
43011000	Of mink, whole, with or without head, tail or paws	Prohibited	Imports are subject to Wildlife (Protection) Act, 1972 and CITES	Free	Imports are subject to Wildlife (Protection) Act, 1972 and CITES besides Policy condition No. 3 of the Chapter
43016000	Of fox, whole, with or without head, tail or paws	Prohibited	Imports are subject to Wildlife (Protection) Act, 1972 and CITES	Free	Imports are subject to Wildlife (Protection) Act, 1972 and CITES besides Policy condition No. 3 of the Chapter
43018000	Other fur skins, whole, with or without head, tail or paws	Free However, import of fur of Chinchilla is Prohibited.	Imports are subject to Wildlife (Protection) Act, 1972 and CITES	Free	Imports are subject to Wildlife (Protection) Act, 1972 and CITES besides Policy condition No. 3 of the Chapter
43021100	Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled : - Of mink	Prohibited	Imports are subject to Wildlife (Protection) Act, 1972 and CITES	Free	Imports are subject to Wildlife (Protection) Act, 1972 and CITES besides Policy condition No. 3 of the Chapter

2. A new policy condition is added as Policy Condition No.4 in Chapter 41 & Condition No. 3 in Chapter 43 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy):

> **“Imports are subject to compliance with the health protocol for import of hides and skin or sanitary conditions as may be prescribed from time to time by Department of Animal Husbandry and Dairying"**

3. **Effect of the Notification:** Import policy of some items classified under Chapter 41 and 43 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy) is amended from “prohibited” to “free” and new policy conditions added to Chapter 41 and 43.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/118/AM-02/PC-2(A)/E-1557]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade

& Ex-officio Addl. Secy.

Note : The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 172 (E), dated the 17th January, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.07 19:52:59 +05'30'